



D — जिला प्रशासन, कल्याण एवं भागीदारी

श्रम कार्यालय / श्रम कल्याण कार्यालय

यह संस्थान क्या है

जिला श्रम कार्यालय श्रमिकों के अधिकारों के लिए सरकार की प्रवर्तन एवं सेवा-वितरण शाखा है। यह न्यूनतम मजदूरी संबंधी शिकायतें, ई-श्रम (e-Shram) पंजीकरण सहायता, BOCW (भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार) कल्याण बोर्ड पंजीकरण, कारखाना निरीक्षण तथा विवाद समाधान सँभालता है। अनौपचारिक अथवा अस्थायी काम में लगे युवाओं — जिनमें अधिकांश युवा कर्मकार शामिल हैं — के लिए यह कार्यालय संरक्षण की पहली पंक्ति है। श्रम समवर्ती सूची (7वीं अनुसूची, सूची III) पर है, जिसका अर्थ है कि केंद्र एवं राज्य दोनों ही विधि बनाते हैं, तथा संरचनाएँ राज्य के अनुसार बदलती हैं।

यह आपके लिए क्यों मायने रखता है

यदि आपकी मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम है, यदि आप निर्माण क्षेत्र में काम करते हैं तथा BOCW कल्याण लाभों (बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, चिकित्सा सहायता, पेंशन) तक पहुँच चाहते हैं, अथवा यदि आप दुर्घटना बीमा हेतु ई-श्रम पर पंजीकरण करवाना चाहते हैं, तो यही वह कार्यालय है जिससे संपर्क करना है।

प्रशासन

कानून / नीति	दायरा
वेतन संहिता (सीओडब्ल्यू), 2019 (21 नवंबर 2025 से प्रभावी)	न्यूनतम मजदूरी, मजदूरी का भुगतान, बोनस (चार मजदूरी-संबंधी अधिनियमों का समेकन)
सामाजिक सुरक्षा संहिता (सीओएसएस), 2020 (21 नवंबर 2025 से प्रभावी; ESI 1948, EPF 1952, कर्मचारी प्रतिकर 1923, मातृत्व लाभ 1961, उपदान भुगतान 1972, BOCW कल्याण उपकर 1996, तथा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा 2008 सहित नौ सामाजिक-सुरक्षा अधिनियमों का समेकन)	संगठित, असंगठित, गिग एवं प्लेटफॉर्म कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा ढाँचा; BOCW कल्याण उपकर निधि
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता (ओएसएच कोड), 2020 (21 नवंबर 2025 से प्रभावी; कारखाना अधिनियम 1948 तथा BOCW (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 सहित 13 अधिनियमों का समेकन)	कार्य-दशाएँ, कारखाना सुरक्षा, संविदा श्रम, निर्माण कर्मकारों की नियोजन एवं सेवा शर्तें
औद्योगिक संबंध संहिता (आईआरसी), 2020 (21 नवंबर 2025 से प्रभावी)	विवाद समाधान, ट्रेड यूनियन, स्थायी आदेश

- **केंद्र:** श्रम एवं रोजगार मंत्रालय — नीति एवं संहिताएँ
- **राज्य:** राज्य श्रम विभाग → श्रम आयुक्त
- **जिला:** सहायक श्रम आयुक्त (ALC) अथवा जिला श्रम अधिकारी
- **क्षेत्र:** अनुपालन जाँच के लिए श्रम निरीक्षक; आईआरसी के अन्तर्गत औद्योगिक विवादों के लिए समझौता अधिकारी
- **संस्थागत निगरानी (वैधानिक निकाय):**
- **BOCW कल्याण बोर्ड** (राज्य-स्तरीय) — निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर एवं लाभ वितरण को नियंत्रित करता है; जिला कार्यालय योजना-स्तरीय क्रियान्वयन निष्पादित करता है
- **राज्य न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड** — न्यूनतम-मजदूरी दरों की आवधिक समीक्षा करता है तथा संशोधन की सिफारिश करता है; जिला इनपुट श्रम आयुक्त के माध्यम से प्रवाहित होते हैं
- **वित्त-पोषण:** कार्यालय राज्य बजट से चलता है; BOCW कल्याण निधि अलग है (निर्माण लागत पर 1% उपकर से वित्त-पोषित)



प्रमुख पद

पद	उत्तरदायित्व
सहायक श्रम आयुक्त (ALC) / जिला श्रम अधिकारी	शिकायतों, विवादों में समझौता तथा पंजीकरण की देखरेख संभालते हैं
श्रम निरीक्षक	न्यूनतम मजदूरी अनुपालन तथा कार्य-दशाओं के लिए प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हैं
BOCW पंजीकरण क्लर्क	भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पंजीकरण संसाधित करते हैं
ई-श्रम सुविधा डेस्क	असंगठित कर्मकारों के लिए ई-श्रम कार्ड पंजीकरण में सहायता करते हैं

अनिवार्य सेवाएँ

- न्यूनतम मजदूरी अनुपालन का प्रवर्तन – कर्मकार इस कार्यालय में शिकायत दर्ज कर सकते हैं
- असंगठित कर्मकारों के लिए ई-श्रम पंजीकरण की सुविधा (2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा एवं कर्मकार पहचान प्रदान करता है)
- BOCW कल्याण बोर्ड पंजीकरण का प्रसंस्करण, जो निर्माण कर्मकारों को बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, चिकित्सा सहायता, मातृत्व लाभ, औजार खरीद सहायता, पेंशन तथा मृत्यु/दिव्यांगता लाभ का अधिकार देता है
- कर्मकारों एवं नियोजकों के बीच औद्योगिक विवादों में समझौता (मजदूरी विवाद, अनुचित बर्खास्तगी)
- दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिष्ठानों का पंजीकरण

संबंधित योजनाएँ

- **ई-श्रम (e-Shram)** – असंगठित कर्मकार पंजीकरण तथा सभी अनौपचारिक कर्मकारों के लिए 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा
- **BOCW कल्याण निधि** – पंजीकृत निर्माण कर्मकारों (18-60 वर्ष) के लिए छात्रवृत्ति, औजार, चिकित्सा सहायता, पेंशन, मृत्यु/दिव्यांगता लाभ
- **पीएम-SYM (PM-SYM)** – 18-40 आयु वर्ग के असंगठित कर्मकारों के लिए, जिनकी आय 15,000 रुपये/माह से कम है, 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये/माह पेंशन
- **PMJJBY / PMSBY** – ई-श्रम पंजीकरण के माध्यम से जुड़ा जीवन एवं दुर्घटना बीमा

पता कैसे लगाएँ

पोर्टल: eshram.gov.in – जिले-वार पंजीकरण डेटा; केंद्र-क्षेत्र प्रतिष्ठान अनुपालन के लिए shramsuvudha.gov.in

इसके अतिरिक्त: "[जिले का नाम] श्रम कार्यालय" अथवा "[जिले का नाम] श्रम विभाग" खोजें – सामान्यतः कलेक्ट्रेट के निकट होता है

प्रमुख सुविधाएँ

एक श्रम कार्यालय में होने चाहिए: एक रिसेप्शन क्षेत्र जहाँ कर्मकार शिकायत दर्ज कर सकें, ई-श्रम पंजीकरण तथा BOCW प्रसंस्करण के लिए कंप्यूटर, तथा सामान्य व्यवसायों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों एवं उपलब्ध कल्याण योजनाओं के बारे में प्रदर्शित सूचना।

एक क्रियाशील श्रम कार्यालय कैसा दिखता है

- एक युवा अनौपचारिक कर्मकार अंदर जाकर एक स्पष्ट प्रक्रिया के साथ न्यूनतम मजदूरी की शिकायत दर्ज कर सकता है
- कार्यालय में ई-श्रम पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है
- BOCW पंजीकरण संसाधित हो रहे हैं – अभिलेख पिछले वर्ष पंजीकरणों एवं वितरित लाभों को दर्शाते हैं
- कर्मचारी जिले में सामान्य व्यवसायों के लिए वर्तमान न्यूनतम मजदूरी दर बता सकते हैं
- प्रतिष्ठान निरीक्षण आयोजित एवं दस्तावेजीकृत किए जा रहे हैं

शिकायत निवारण

सेवा वितरण के दौरान। पहला संपर्क बिंदु सहायक श्रम आयुक्त (ALC) / जिला श्रम अधिकारी है। श्रम निरीक्षक स्थल-पर शिकायतें संभालते हैं। BOCW-विशिष्ट मामलों के लिए, BOCW पंजीकरण क्लर्क अग्रिम-पंक्ति हैं।



सेवा के बाद। आगे की कार्यवाही राज्य श्रम आयुक्त तथा BOCW कल्याण बोर्ड (राज्य-स्तरीय) तक होती है। समझौता अधिकारी किसी भी श्रम न्यायालय कार्यवाही से पूर्व आईआरसी के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद सँभालते हैं।

बाहरी। श्रम सुविधा पोर्टल (shramsuvridha.gov.in) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का समेकित शिकायत एवं अनुपालन प्लेटफॉर्म है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली CPGRAMS (pgportal.gov.in) मंत्रालय-स्तरीय शिकायतें सँभालती है। ई-श्रम संबंधी मामलों के लिए, eshram.gov.in पर एक समर्पित शिकायत मार्ग है। श्रम न्यायालय / औद्योगिक न्यायाधिकरण (राज्य-स्तरीय) अनसुलझे विवादों के लिए न्यायिक मंच है। न्यूनतम-मजदूरी उल्लंघनों को वेतन संहिता (सीओडब्ल्यू), 2019 की धारा 20 के अन्तर्गत सीधे श्रम आयुक्त के समक्ष उठाया जा सकता है।

—